सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया का निर्णय

नागरिक अपीलीय अधिकारिता (CIVIL APPELLATE JURISDICTION)

सिविल अपील संख्या 1385/2025

ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST — अपीलकर्ता

बनाम

महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य — प्रतिवादी

(साथ में कई अन्य संबंधित सिविल अपीलें)

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा निर्णय

दिनांक: 1 सितंबर 2025

परिचय (Introduction)

1. इन अपीलों में यह प्रश्न विचाराधीन है कि

क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अनिवार्य है?

क्या वे शिक्षक, जो 2009 के "बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम" (RTE Act) के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे, पदोन्नति (Promotion) के लिए TET उत्तीर्ण करने से मुक्त हो सकते हैं?

2. इस मामले में विभिन्न राज्यों के कई हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है ।अपीलकर्ता संस्थान मुख्य रूप से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान हैं।

कुछ शिक्षक भी अपीलकर्ता हैं, जो यह दावा करते हैं कि पुरानी नियुक्ति होने के कारण उन्हें TET की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

3. 28 जनवरी 2025 को इस न्यायालय ने इन प्रश्नों को स्पष्ट किया और इस पर सुनवाई की।

कुछ अपीलें वापस ले ली गईं, लेकिन शेष मामलों पर सुनवाई करके निर्णय सुरक्षित रख लिया गया।

विचारणीय प्रश्न

न्यायालय ने दो मुख्य प्रश्न तय किए:

a) क्या राज्य यह शर्त रख सकता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में भी नियुक्त होने वाले प्रत्येक शिक्षक को TET उत्तीर्ण करना होगा?

यदि हाँ, तो क्या यह अल्पसंख्यक संस्थानों के संविधान प्रदत्त अधिकारों (अनुच्छेद 30) का उल्लंघन है?

b) क्या वे शिक्षक, जो 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए और 25– 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं, उन्हें भी पदोन्नति के लिए TET पास करना आवश्यक है?

हाईकोर्ट के निर्णय (सारांश)

बॉम्बे हाईकोर्ट (12 दिसंबर 2017):

महाराष्ट्र सरकार के आदेश को सही ठहराया, जिसमें TET पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य था, अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल।

मद्रास हाईकोर्ट (2 जून 2023):

TET को अनिवार्य माना गया, पर अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी।

पदोन्नति पाने के लिए TET पास करना ज़रूरी बताया।

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य राज्यों ने NCTE(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के 2010 और 2011 के नोटिफिकेशन के आधार पर नियम बनाए, जिनमें TET को न्यूनतम योग्यता बताया गया।

विभिन्न याचिकाओं में दलील दी गई कि

पुराने शिक्षकों को TET से छूट मिले।

अल्पसंख्यक संस्थान को RTE कानून से मुक्त रखा जाए।

विभिन्न हाईकोर्ट के आदेश (जारी)

मामला: Civil Appeal No. 1385 और 1386/2025 (बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय)

23 अगस्त 2013 को महाराष्ट्र सरकार का आदेश:

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए TET पास होना अनिवार्य।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2017 को इस आदेश को सही ठहराया।

कहा कि यह नियम अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार का हनन नहीं करता।

मामला: Civil Appeal No. 6365– 6367/2025 (मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय)

इस मामले में इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल (अल्पसंख्यक संस्था) के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव खारिज किया गया था।

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा: पहले प्रबंधन के पास जो “अतिरिक्त शिक्षक” हैं, उन्हें समायोजित करो।

एकल न्यायाधीश ने आदेश रद्द कर दिया और कहा कि यह स्कूल स्वतंत्र है,

इसलिए यह नियम लागू नहीं।

अपील खारिज हुई।

इस अपील में पहली बार राज्य ने TET की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया।

मामला: Civil Appeal No. 1364– 1367/2025

बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसायटी ने शिक्षकों को नियुक्त किया (2015)।

2018 में मुंबई महानगरपालिका ने कहा कि 30 मार्च 2019 तक TET पास करो, नहीं तो सेवा समाप्त।

प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई और वेतन जारी करने का निर्देश दिया।

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में।

मामला: Civil Appeal Nos. 1389 आदि (कई याचिकाएं)

मद्रास हाईकोर्ट में कई शिक्षकों ने NCTE की 2010 और 2011 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी।

मुख्य दलील:

TET की वजह से पुराने शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा।

23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर TET लागू नहीं होना चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा:

29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त और पदोन्नत होने वालों को TET पास करना अनिवार्य है।

पहले से नियुक्त शिक्षक सेवा में रह सकते हैं, पर प्रमोशन के लिए TET जरूरी। 30 जनवरी 2020 का आदेश, जिसमें प्रमोशन के लिए TET की जरूरत नहीं बताई गई थी, उसे रद्द कर दिया।

मामला: Civil Appeal No. 6364/2025 (Union of India की अपील)

शिक्षक (Stephen) एक अल्पसंख्यक स्कूल में नियुक्त थे।

जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति मंजूर नहीं की, क्योंकि शिक्षक ने TET पास नहीं किया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE लागू नहीं होता, इसलिए नियुक्ति मंजूर करो।

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

सारांश तालिका

हाईकोर्ट का आदेश निर्णय अपील संख्या

बॉम्बे हाईकोर्ट (2017) अल्पसंख्यक स्कूलों में भी TET अनिवार्य 1385–1386/2025

बॉम्बे हाईकोर्ट (2019) शिक्षकों को अंतरिम राहत, TET पर रोक 1364–1367/2025

मद्रास हाईकोर्ट (2023) गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए TET अनिवार्य; अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट 1389 आदि/2025

मद्रास हाईकोर्ट (2019) अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE लागू नहीं 6364/2025

मद्रास हाईकोर्ट (2022) TET का मुद्दा नहीं उठाया गया 6365– 6367/2025

RTE कानून से संबंधित पुराने निर्णय

Society for Unaided Private Schools of Rajasthan बनाम भारत संघ (2012)

इस मामले में RTE कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा:

RTE कानून लागू है, लेकिन अल्पसंख्यक, बिना सहायता वाले स्कूलों (unaided minority schools) पर लागू नहीं।

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE लागू होगा।

न्यायालय ने कहा कि निजी संस्थान शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकते, इसलिए उन पर कुछ नियम लागू करना उचित है।

Pramati Educational and Cultural Trust बनाम भारत संघ (2014)

5-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा:

अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE पूरी तरह लागू नहीं हो सकता।

चाहे स्कूल सहायता प्राप्त हो या न हो, अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट है।

इस निर्णय ने 2012 के निर्णय को संशोधित किया।

मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय (जारी)

मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:

29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त हर शिक्षक को TET पास करना अनिवार्य है, चाहे वह सीधी नियुक्ति हो या प्रमोशन।

30 जनवरी 2020 का तमिलनाडु सरकार का आदेश, जिसमें प्रमोशन के लिए TET को अनिवार्य नहीं माना गया था, उसे रद्द कर दिया।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर TET लागू नहीं होगा (Pramati Educational Trust केस का हवाला)।

—-

Union of India की अपील (Civil Appeal No. 6364/2025)

शिक्षक Stephen को एक अल्पसंख्यक स्कूल में नियुक्त किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि TET पास किए बिना नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आदेश रद्द कर दिया कि:

RTE कानून अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं।

शिक्षक की नियुक्ति मंजूर की जाए।

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई और इस आदेश को चुनौती दी।

---

विभिन्न आदेशों का सारांश तालिका (पुनः)

न्यायालय मुख्य निर्णय अपील संख्या

बॉम्बे हाईकोर्ट (2017) अल्पसंख्यक स्कूलों में भी TET अनिवार्य 1385–1386/2025

बॉम्बे हाईकोर्ट (2019) TET की अनिवार्यता पर रोक; अंतरिम राहत 1364–1367/2025

मद्रास हाईकोर्ट (2023) गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए TET अनिवार्य; अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट 1389 आदि/2025

मद्रास हाईकोर्ट (2019) RTE अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं 6364/2025

मद्रास हाईकोर्ट (2022) TET का मुद्दा नहीं उठाया गया 6365– 6367/2025

---

RTE कानून के पिछले फैसले (विस्तार से)

1. Society for Unaided Private Schools of Rajasthan बनाम भारत संघ (2012)

यह मामला RTE कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 21(A) (6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) को लागू करने के लिए RTE कानून बनाया गया।

अदालत ने कहा कि RTE लागू है, पर बिना सहायता वाले अल्पसंख्यक स्कूलों पर इसे लागू करना गलत होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 30(1) के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करेगा।

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE लागू हो सकता है।

न्यायालय ने कहा कि शिक्षा एक "गैर-व्यावसायिक गतिविधि" है, इसलिए इस पर नियम बनाना संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित है।

---

2. Pramati Educational and Cultural Trust बनाम भारत संघ (2014)

इस 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Society for Unaided Private Schools (2012) के फैसले को संशोधित किया।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 21(A) और अनुच्छेद 15(5) के तहत बनाए गए प्रावधान सही और

संवैधानिक हैं।

लेकिन RTE कानून को अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह उनके अनुच्छेद 30(1) के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।

इस प्रकार, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले दोनों अल्पसंख्यक स्कूल RTE से मुक्त हैं।

---

न्यायालय का अवलोकन

RTE का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है।

लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार (Article 30) भी है।

इसलिए कानूनों को संतुलित तरीके से लागू करना होगा ताकि किसी का अधिकार न छीना जाए।

Society for Unaided Private Schools केस का विस्तृत विश्लेषण

इस केस में RTE अधिनियम की वैधता की समीक्षा की गई।

अनुच्छेद 21(A) के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया।

RTE के कुछ प्रावधान जैसे कि:

धारा 3: हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार।

धारा 12(1)(b) और 12(1)(c):

सहायता प्राप्त (Aided) और बिना सहायता (Unaided) वाले निजी स्कूलों को अपनी सीटों का कम-से-कम 25% हिस्से में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य।

इस पर बहस हुई कि यह प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार (Article 30) को प्रभावित करता है या नहीं।

—

अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थान में अंतर

निर्णय में कहा गया:

बिना सहायता वाले अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE लागू नहीं होगा।

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE लागू हो सकता है।

गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों (Aided और Unaided) पर RTE पूरी तरह लागू होगा।

संस्थान का प्रकार  सहायता प्राप्त (Aided) बिना सहायता (Unaided)

अल्पसंख्यक स्कूल  लागू (✔️)  लागू नहीं (❌)

गैर-अल्पसंख्यक स्कूल  लागू (✔️)  लागू (✔️)

---

न्यायालय के विचार:

1. शिक्षा को व्यापार नहीं माना जा सकता।

2. शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, इसलिए सरकार को इसके लिए नियम बनाने का अधिकार है।

3. अनुच्छेद 21(A) और अनुच्छेद 19(1)(g) को संतुलित दृष्टि से पढ़ना होगा।

4. निजी स्कूल समाज के बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं।

---

Pramati Educational&Cultural Trust केस का विस्तृत विश्लेषण (2014)

इस केस को 5 जजों की संविधान पीठ ने सुना।

प्रश्न:

1. अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 21(A) के तहत बने प्रावधान क्या संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं?

2. क्या RTE को अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू किया जा सकता है?

—

मुख्य निष्कर्ष:

अनुच्छेद 15(5) (आरक्षण व विशेष प्रावधान) और अनुच्छेद 21(A) (शिक्षा का

अधिकार) संवैधानिक और वैध हैं।

लेकिन RTE को अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह उनके अनुच्छेद 30(1) के अधिकारों का उल्लंघन है।

इस निर्णय में यह साफ़ कहा गया:

> “अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या न हों।”

—

न्यायालय का अवलोकन:

1. अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक समुदाय को अपने संस्थान स्थापित और संचालित करने का पूर्ण अधिकार देता है।

2. यदि RTE लागू किया गया तो अल्पसंख्यक संस्थान अपनी पहचान खो सकते हैं।

3. अनुच्छेद 21(A) और अनुच्छेद 15(5) बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इन्हें अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ संतुलन में रखना होगा।

4. इसीलिए, अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE से छूट दी गई।

---

निष्कर्ष तालिका:

| संस्थान का प्रकार | RTE लागू? (Society केस) | RTE लागू? (Pramati केस) |
|---|---|---|
| अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त | ✔️ | ❌ |
| अल्पसंख्यक बिना सहायता | ❌ | ❌ |

गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त ✔✔

गैर-अल्पसंख्यक बिना सहायता ✔✔

—-

RTE और TET का संबंध:

TET (Teacher Eligibility Test) को NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा न्यूनतम योग्यता का हिस्सा बनाया गया।

2010 और 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार:

कक्षा I से VIII तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य।

यह नियम सभी गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में लागू।

विवाद: क्या पहले से नियुक्त शिक्षकों को भी प्रमोशन के लिए TET पास करना होगा?

Pramati Educational&Cultural Trust केस का विश्लेषण (जारी)

अदालत ने संविधान संशोधन (93वां संशोधन,2005) को वैध माना।

अनुच्छेद 15(5) में बदलाव करके पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा में विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया।

यह संशोधन संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करता।

अनुच्छेद 21(A)(शिक्षा का अधिकार) भी संवैधानिक है।

संसद को कानून बनाने का अधिकार है ताकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जा सके।

---

महत्वपूर्ण अंश:

> “अनुच्छेद 21(A) के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निजी, बिना सहायता वाले या अल्पसंख्यक स्कूलों पर पूरी तरह नियंत्रण लगाया जाए।

राज्य को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, पर यह अधिकार अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता।”

—-

अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 30(1):

अनुच्छेद 19(1)(g): नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 30(1): अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार।

अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21(A) को इन दोनों अनुच्छेदों के साथ संतुलित रूप से पढ़ना चाहिए।

—

RTE के तहत स्कूलों की जिम्मेदारी:

RTE अधिनियम के अनुसार:

धारा 12(1)(b): सहायता प्राप्त स्कूलों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान।

धारा 12(1)(c): बिना सहायता वाले स्कूलों को भी 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।

अदालत का मत:

अल्पसंख्यक स्कूलों को इस प्रावधान से मुक्त रखना चाहिए।

यदि RTE लागू किया गया तो अल्पसंख्यक स्कूल अपनी पहचान खो देंगे।

---

महत्वपूर्ण निष्कर्ष (Pramati केस):

1. 93वां संशोधन और 86वां संशोधन वैध हैं।

2. RTE अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करता।

3. RTE अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों (चाहे सहायता प्राप्त हों या नहीं) पर लागू नहीं होगा।

4. यह फैसला 2012 के Society केस के उस हिस्से को पलटता है, जिसमें सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE लागू किया गया था।

---

निष्कर्ष का उद्धरण:

> “अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE लागू करना अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन होगा।

इसलिए यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता के।”

---

न्यायालय का दृष्टिकोण:

शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यकों का अधिकार दोनों संवैधानिक हैं।

अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक और भाषाई संस्थान चलाने की स्वतंत्रता है।

बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य (State) का है, न कि निजी स्कूलों का।

---

तुलनात्मक तालिका:

| संस्थान का प्रकार | RTE लागू? (Society केस) | RTE लागू? (Pramati केस) |
|---|---|---|
| अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त | ✔️ | ❌ |
| अल्पसंख्यक बिना सहायता | ❌ | ❌ |
| गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त | ✔️ | ✔️ |
| गैर-अल्पसंख्यक बिना सहायता | ✔️ | ✔️ |

---

सारांश:

यह स्पष्ट हो गया कि RTE का दायरा सीमित है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान ने विशेष संरक्षण दिया है।

सरकार का अधिकार केवल उन्हीं संस्थानों तक सीमित है जो अल्पसंख्यक नहीं हैं ।

बच्चों के शिक्षा अधिकार की पूर्ति के लिए सरकार को अपने स्कूलों में सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

Pramati केस के निष्कर्ष (जारी)

अदालत ने स्पष्ट किया:

>“ जब हम RTE अधिनियम को देखते हैं, तो यह धारा 12(1)(b) के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों पर यह दायित्व डालता है कि वे अपनी वार्षिक अनुदान राशि के अनुपात में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करें।

इसी प्रकार, धारा 12(1)(c) के तहत बिना सहायता वाले स्कूलों को अपनी 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।

लेकिन यदि यह प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू किया गया, तो यह उनके अधिकारों का हनन होगा।”

---

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

अल्पसंख्यक संस्थानों की पहचान और उद्देश्य को बनाए रखने के लिए उन्हें RTE से मुक्त रखना आवश्यक है।

इसीलिए अदालत ने कहा:

RTE अधिनियम, अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक स्कूलों (सहायता प्राप्त या बिना सहायता वाले) पर लागू नहीं होगा।

इस निर्णय ने Society for Unaided Private Schools केस (2012) के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर RTE लागू माना गया था।

---

निष्कर्ष का अंतिम उद्धरण:

>“ हम मानते हैं कि 93वां और 86वां संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते।

RTE अधिनियम भी अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करता।

परंतु, RTE अधिनियम अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक स्कूलों (सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले दोनों) पर लागू नहीं होगा।”

—

RTE अधिनियम का सारांश (Pramati और Society मामलों के अनुसार):

| संस्था का प्रकार | Society केस (2012) | Pramati केस (2014) |
|---|---|---|
| अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल | ✔️ लागू | ❌ लागू नहीं |
| अल्पसंख्यक बिना सहायता स्कूल | ❌ लागू नहीं | ❌ लागू नहीं |
| गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल | ✔️ लागू | ✔️ लागू |
| गैर-अल्पसंख्यक बिना सहायता स्कूल | ✔️ लागू | ✔️ लागू |

---

आगे की कार्यवाही:

अदालत ने कहा कि अब इस विषय पर आगे की चर्चा और स्पष्टता आवश्यक है
।

इसके लिए एक बड़ी पीठ (लार्जर बेंच) द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी।

---

विभिन्न पक्षों की दलीलें (Arguments of the Parties)

1. सरकार और समर्थक पक्ष की दलीलें:

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए TET को न्यूनतम योग्यता बनाना जरूरी
है।

शिक्षक की नियुक्ति में कठोर नियमों से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू की जानी चाहिए।

RTE और TET का उद्देश्य शिक्षक की गुणवत्ता सुधारना है, न कि संस्थानों पर अनावश्यक नियंत्रण।

---

2. याचिकाकर्ताओं (Teachers/Institutions) की दलीलें:

पहले से नियुक्त शिक्षकों पर TET लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वर्षों का अनुभव है।

TET को केवल नई नियुक्ति तक सीमित रखा जाए।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE का कोई प्रावधान लागू नहीं हो सकता।

TET केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (Minimum Qualification) के बराबर नहीं माना जा सकता।

अगर प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया, तो हजारों अनुभवी शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे।

---

3. तर्कों का सार:

सरकार का पक्ष:

शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए TET अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता का पक्ष:

पुराने शिक्षकों पर इसे लागू करना अनुचित और असंवैधानिक है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी जानी चाहिए।

पक्षकारों के तर्क (जारी)

याचिकाकर्ताओं के विस्तृत तर्क:

1. महाराष्ट्र में कोई राज्य कानून नहीं:

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जो TET को अनिवार्य करता हो।

2. शिक्षक की कमी का संकट:

TET पास प्रतिशत बहुत कम है।

अगर TET अनिवार्य किया गया, तो शिक्षकों की भारी कमी होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी।

3. अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार:

अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक स्कूलों को अपने शिक्षक चुनने की स्वतंत्रता देता है।

RTE का अनुच्छेद 1(4) कहता है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहेगा।

इसलिए अल्पसंख्यक स्कूलों पर TET लागू नहीं किया जा सकता।

4. TET केवल पात्रता परीक्षा है:

यह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है।

यह केवल शिक्षण क्षमता मापने का साधन है।

5. “नियुक्ति” का अर्थ:

RTE की धारा 23 में “appointment as a teacher” का मतलब केवल पहली नियुक्ति है, प्रमोशन नहीं।

प्रमोशन को “appointment” नहीं कहा जा सकता।

6. नियमों में ढील:

23 अगस्त 2010 की अधिसूचना केवल कक्षा I– VIII तक के शिक्षकों के लिए है।

यह नियम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लागू नहीं है।

7. अनुभवी शिक्षकों पर छूट:

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के पास पर्याप्त अनुभव है।

उन पर TET लागू करना अनुचित है।

--

अन्य तर्क:

यदि RTE के कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होते, तो धारा 23 (TET की शर्त) भी लागू नहीं होगी।

Pramati केस में स्पष्ट कहा गया है कि RTE अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं है।

प्रमोशन पर TET लागू करने से हजारों शिक्षक "स्टैग्नेशन" (रुकावट) का शिकार हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (CSIR vs KGS Bhatt, 1989):

प्रमोशन न मिलने से शिक्षक का मनोबल गिरता है।

करियर ग्रोथ शिक्षा क्षेत्र में जरूरी है।

---

न्यायालय की टिप्पणियाँ (संक्षेप):

1. यह मामला केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा नीति को प्रभावित करेगा।

2. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षक की योग्यता तय करना जरूरी है।

3. अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है।

4. इस मामले में सभी पक्षों की गहराई से सुनवाई की गई है।

5. न्यायालय का उद्देश्य ऐसा संतुलन बनाना है जिससे:

बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

अनुभवी शिक्षक प्रमोशन से वंचित न हों।

अल्पसंख्यक स्कूलों के अधिकार सुरक्षित रहें।

---

अदालत द्वारा प्रश्नों का पुनर्निर्धारण:

28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख प्रश्न तय किए:

1. क्या राज्य यह शर्त रख सकता है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षक को भी TET पास करना होगा?

2. क्या 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक, जिन्हें वर्षों का अनुभव है, उन्हें भी प्रमोशन के लिए TET पास करना जरूरी होगा?

महत्वपूर्ण केस संदर्भ:

T.M.A. Pai Foundation vs State of Karnataka (2002):

अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान स्थापित और संचालित करने का मौलिक अधिकार।

P.A. Inamdar vs State of Maharashtra (2005):

शिक्षा को व्यापार नहीं माना जा सकता।

शिक्षा क्षेत्र में राज्य का नियमन संभव है।

Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973):

संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत।

CSIR vs KGS Bhatt (1989):

प्रमोशन का अवसर करियर विकास के लिए आवश्यक।

—-

अब तक का सारांश:

यह स्पष्ट है कि TET को न्यूनतम पात्रता के रूप में लागू करने पर देशभर में बहस है।

एक तरफ सरकार का दावा है कि TET से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अनुभवी शिक्षकों के साथ अन्याय है।

अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा

।

पक्षकारों की दलीलें (जारी)

अन्य याचिकाकर्ताओं के तर्क:

1. धारा 23 की व्याख्या:

“ appointment as a teacher” का अर्थ केवल प्रारंभिक नियुक्ति होना चाहिए। प्रमोशन को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

यदि प्रमोशन के लिए भी TET पास करना अनिवार्य होगा, तो कई अनुभवी शिक्षक अपनी वरिष्ठता के बावजूद प्रमोशन से वंचित हो जाएंगे।

2. TET की सीमाएं:

NCTE की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना केवल कक्षा I से VIII के शिक्षकों के लिए है।

इस अधिसूचना में स्पष्ट है कि जिन शिक्षकों ने पहले ही नियुक्ति पाई है, वे अपनी सेवा में रह सकते हैं।

कहीं भी यह नहीं लिखा कि प्रमोशन के लिए भी TET अनिवार्य होगा।

3. प्रभाव:

TET पास न करने पर शिक्षक को नौकरी से निकालने का प्रावधान नहीं है।

इसलिए इसे अनिवार्य करना अव्यवहारिक है।

4. अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रभाव:

Pramati केस के अनुसार RTE अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता।

इसका अर्थ है कि धारा 23 (TET संबंधी प्रावधान) भी अल्पसंख्यक स्कूलों पर

लागू नहीं होगा।

---

महत्वपूर्ण अवलोकन:

धारा 23 का उद्देश्य:

शिक्षक की गुणवत्ता को बनाए रखना।

न्यूनतम योग्यता तय करना।

यह प्रावधान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया गया है।

अल्पसंख्यक स्कूलों का अधिकार:

अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण

संस्थान स्थापित करने और चलाने का पूर्ण अधिकार है।

इस अधिकार को सीमित करने वाला कोई भी कानून असंवैधानिक होगा।

---

कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण:

1. RTE अधिनियम 2009 की धारा 23:

“ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता को पूरा किए बिना किसी को भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।”

केंद्र सरकार ने यह अधिकार NCTE को दिया।

2. NCTE की अधिसूचना (23 अगस्त 2010):

कक्षा I से VIII तक पढ़ाने के लिए TET पास करना अनिवार्य।

राज्यों को यह परीक्षा आयोजित करने का अधिकार।

3.29 जुलाई 2011 की अधिसूचना:

इसमें और स्पष्ट किया गया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक अपनी सेवा जारी रख सकते हैं।

---

न्यायालय की दृष्टि:

बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए योग्य शिक्षक होना जरूरी।

लेकिन कानून बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि:

अनुभवी शिक्षकों को अनावश्यक कठिनाई न हो।

अल्पसंख्यक संस्थानों का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे।

यह मामला शिक्षा नीति, संविधानिक अधिकार और बच्चों के अधिकार तीनों से जुड़ा है।

---

मुद्दे का महत्व:

यह सिर्फ शिक्षक प्रमोशन का मुद्दा नहीं है।

यह सवाल पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की स्थिति को प्रभावित करेगा।

इस निर्णय से:

1. हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे।

2. राज्य सरकारों की शिक्षा नीति पर असर पड़ेगा।

3. अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर स्पष्टता आएगी।

—

न्यायालय का संतुलन दृष्टिकोण:

अदालत का कहना है कि:

बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लेकिन शिक्षा नीति इस प्रकार हो कि शिक्षक समुदाय का मनोबल न टूटे।

अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का भी सम्मान हो।

न्यायालय के विस्तृत अवलोकन

1. RTE और TET का उद्देश्य:

RTE अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे।

TET को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है।

शिक्षक की क्षमता का मूल्यांकन करके यह तय किया जा सकता है कि वह बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा या नहीं।

2. TET का महत्व:

यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि न्यूनतम शिक्षण क्षमता की गारंटी है।

बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार तभी सार्थक होगा, जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित और योग्य हों।

---

अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार पर चर्चा:

अनुच्छेद 30(1):

अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और भाषा पर आधारित शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है।

इस अधिकार की रक्षा करना संविधान की जिम्मेदारी है।

अदालत ने कहा:

यह अधिकार पूर्ण है, लेकिन यह बिना शर्त नहीं है।

यदि कोई नियम बच्चों के शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया

है और वह अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को पूरी तरह खत्म नहीं करता, तो उसे लागू किया जा सकता है।

---

RTE की धारा 1(4):

यह कहती है:

“यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन होगा।”

अदालत का मत:

इसका अर्थ यह नहीं कि अल्पसंख्यक संस्थान किसी भी नियमन से पूरी तरह मुक्त हैं।

केवल ऐसे नियम लागू नहीं होंगे जो अल्पसंख्यक संस्थानों की पहचान को मिटा

दें।

---

नियुक्ति और प्रमोशन का अंतर:

नियुक्ति:

किसी व्यक्ति को पहली बार शिक्षक पद पर नियुक्त करना।

प्रमोशन:

पहले से कार्यरत शिक्षक को ऊँचे पद पर पदोन्नत करना।

अदालत का अवलोकन:

धारा 23 में “appointment as a teacher” शब्द का प्रयोग किया गया है।

यह मुख्यतः पहली नियुक्ति को संदर्भित करता है।

प्रमोशन को इसमें शामिल करना स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है।

---

न्यायालय की राय (संक्षेप):

1. बच्चों को शिक्षा का अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता है।

2. शिक्षक की योग्यता को मापने के लिए TET जैसे प्रावधान सही हैं।

3. अनुभवी शिक्षकों के प्रमोशन में बाधा डालना उचित नहीं।

4. अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष सुरक्षा

मिलेगी।

5. शिक्षा नीति को ऐसा संतुलन बनाना होगा, जिससे बच्चों का हित और शिक्षकों के अधिकार दोनों सुरक्षित रहें।

—-

अदालत की आगे की कार्यवाही:

इस पूरे मामले को एक बड़ी संविधान पीठ (Constitution Bench) के पास भेजा जाएगा।

यह पीठ यह तय करेगी:

1. क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होगा?

2. क्या पुराने शिक्षकों को भी प्रमोशन के लिए TET पास करना जरूरी है?

3. क्या धारा 23 का दायरा प्रमोशन तक बढ़ाया जा सकता है?

---

महत्वपूर्ण केस संदर्भ (दोहराव):

केस का नाम  मुख्य बिंदु

T.M.A. Pai Foundation vs State of Karnataka (2002) अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार।

P.A. Inamdar vs State of Maharashtra (2005) शिक्षा व्यापार नहीं, पर नियमन संभव।

Society for Unaided Private Schools (2012) RTE अल्पसंख्यक बिना सहायता स्कूल पर लागू नहीं।

Pramati Educational Trust (2014) RTE अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी लागू नहीं।

न्यायालय का विस्तृत विश्लेषण

1. शिक्षा का अधिकार और शिक्षक की योग्यता:

संविधान का अनुच्छेद 21(A) बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।

इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक की योग्यता तय करना आवश्यक है।

शिक्षक की गुणवत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

2. TET की अनिवार्यता:

NCTE ने शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के रूप में TET को लागू किया।

यह परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षक में बच्चों को पढ़ाने की न्यूनतम क्षमता हो।

यह नीति शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई है।

—-

अनुभवी शिक्षकों पर प्रभाव:

अदालत ने कहा कि:

पहले से नियुक्त शिक्षकों का अनुभव अमूल्य है।

TET को प्रमोशन के लिए बाधा बनाना उचित नहीं।

अनुभवी शिक्षक अपने कार्य का प्रमाण पहले ही दे चुके हैं।

प्रमोशन में केवल सेवा अवधि और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

--

अल्पसंख्यक संस्थानों पर विचार:

अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने की स्वतंत्रता है।

RTE की धारा 1(4) कहती है कि अधिनियम अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन होगा।

अदालत का अवलोकन:

TET जैसे सामान्य नियमों को लागू करना तभी संभव है जब यह अल्पसंख्यक संस्थान की पहचान को प्रभावित न करे।

अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षक चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता बच्चों की शिक्षा के अधिकार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।

---

नियुक्ति और प्रमोशन का स्पष्ट अंतर:

| बिंदु | नियुक्ति (Appointment) | प्रमोशन (Promotion) |
|---|---|---|
| परिभाषा | किसी व्यक्ति को पहली बार पद पर नियुक्त करना | कार्यरत व्यक्ति को ऊँचे पद पर पदोन्नत करना |
| धारा 23 के तहत लागू | ✔️ अस्पष्ट (स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं) | |
| उद्देश्य | योग्य व्यक्ति को शिक्षक के पद पर नियुक्त करना | अनुभवी शिक्षक को करियर विकास का अवसर देना |

---

न्यायालय का दृष्टिकोण:

धारा 23 को केवल पहली नियुक्ति के लिए लागू माना जा सकता है।

प्रमोशन को नियुक्ति के समान मानना अनुचित है।

इससे अनुभवी शिक्षकों का मनोबल टूट सकता है और शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

---

मुख्य निष्कर्ष:

1. TET का महत्व:

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का यह एक प्रमुख साधन है।

2. अनुभवी शिक्षक:

पहले से नियुक्त शिक्षकों पर प्रमोशन के लिए TET की शर्त लगाना उचित नहीं।

3. अल्पसंख्यक संस्थान:

उनके अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है।

TET का नियम तभी लागू होगा जब यह उनकी पहचान को समाप्त न करे।

4. शिक्षा नीति का संतुलन:

शिक्षा का अधिकार, शिक्षक का करियर विकास और अल्पसंख्यक अधिकार — इन तीनों को संतुलित करना होगा।

-अदालत का आदेश (संक्षेप):

इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए।

संविधान पीठ यह तय करेगी:

1. अल्पसंख्यक संस्थानों पर TET की अनिवार्यता।

2. प्रमोशन में TET की शर्त का औचित्य।

3. शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए संतुलित समाधान।

न्यायालय का अंतिम विश्लेषण

1.TET और RTE का मकसद:

दोनों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है।

बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक यदि योग्य नहीं होगा, तो शिक्षा का अधिकार अर्थहीन हो जाएगा।

इसलिए न्यूनतम योग्यता तय करना सही कदम है।

2. अनुभवी शिक्षकों पर विचार:

लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों का अनुभव अमूल्य है।

प्रमोशन के लिए उन्हें TET में बाध्य करना अनुचित होगा।

शिक्षकों को उनके अनुभव, सेवा अवधि और प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन का अधिकार मिलना चाहिए।

—

अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता:

अनुच्छेद 30(1) का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने धार्मिक और भाषाई संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चला सकें।

यह अधिकार पूर्ण है, पर यह बच्चों की शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह खत्म

नहीं कर सकता।

इसलिए सरकार केवल ऐसे नियम बना सकती है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों की पहचान को प्रभावित न करें।

---

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 21(A) 6– 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 19(1)(g) किसी भी पेशे या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार।

अनुच्छेद 15(5) वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा में विशेष प्रावधान।

---

नियुक्ति बनाम प्रमोशन पर स्पष्टता:

“Appointment” का अर्थ केवल पहली बार पद पर नियुक्ति है।

“Promotion” से वा का आ ला स्स है।

RTE की धारा 23 केवल पहली नियुक्ति पर लागू होती है।

प्रमोशन के लिए TET को अनिवार्य बनाना अधिनियम की मूल भावना से बाहर है।

---

न्यायालय का निर्देश:

यह मामला शिक्षा क्षेत्र के बड़े और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है।

इसलिए इसे संविधान पीठ को भेजा जाता है।

संविधान पीठ यह तय करेगी:

1. क्या अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों पर TET लागू होगा?

2. क्या प्रमोशन में TET की अनिवार्यता उचित है?

3. शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक गुणवत्ता सुधारने का संतुलित तरीका क्या होगा?

न्यायालय की टिप्पणी:

> “शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
एक योग्य शिक्षक ही इस अधिकार को साकार कर सकता है।
लेकिन नीतियाँ ऐसी हों जो शिक्षक समुदाय को हतोत्साहित न करें और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखें।”

—-

महत्वपूर्ण केस कानूनों का सार:

केस का नाम  मुख्य निर्णय

Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973)  संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत।

T.M.A. Pai Foundation (2002)  अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वतंत्रता।

P.A. Inamdar (2005) शिक्षा व्यापार नहीं, लेकिन नियमन संभव।

Society for Unaided Private Schools (2012)  RTE अल्पसंख्यक बिना सहायता स्कूलों पर लागू नहीं।

Pramati Educational Trust (2014)  RTE अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी लागू नहीं।

न्यायालय के विचार (जारी)

1. शिक्षा का संवैधानिक महत्व:

संविधान के अनुच्छेद 21(A) ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है।

यह केवल किताबों तक पहुंच का अधिकार नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

इसके लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

2. TET का उद्देश्य:

शिक्षक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना।

न्यूनतम शिक्षण योग्यता का मानक तय करना।

बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

यह व्यवस्था केवल कागज़ी औपचारिकता नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकार की रक्षा का माध्यम है।

---

अल्पसंख्यक संस्थानों पर विशेष टिप्पणी:

संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और चलाने का अधिकार दिया है।

यह अधिकार पूर्ण है, लेकिन इसका उपयोग बच्चों को गुणवत्ता से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

यदि कोई नियम (जैसे TET) केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है और अल्पसंख्यक पहचान को समाप्त नहीं करता, तो यह संवैधानिक हो सकता है।

---

नियुक्ति और प्रमोशन पर फिर से स्पष्टता:

RTE की धारा 23 में स्पष्ट “appointment as a teacher” शब्द का प्रयोग

है।

इसका अर्थ नई नियुक्ति है, प्रमोशन नहीं।

प्रमोशन के लिए नए मानदंड लागू करना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा।

अनुभवी शिक्षक पहले ही अपने कार्य में दक्षता साबित कर चुके हैं।

---

सरकार की भूमिका:

सरकार का कर्तव्य है कि वह शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नियम बनाए।

लेकिन नीति बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा:

शिक्षकों के करियर विकास में बाधा न आए।

अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को समान रूप से मिले।

---

संविधान पीठ को संदर्भित प्रश्न:

1. क्या TET सभी संस्थानों के शिक्षकों (अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक) पर अनिवार्य रूप से लागू होगा?

2. क्या प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य किया जा सकता है?

3. क्या धारा 23 की व्याख्या केवल नियुक्ति तक सीमित है?

4. बच्चों के शिक्षा अधिकार और शिक्षकों के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

—-

न्यायालय का दृष्टिकोण (सारांश):

शिक्षा का अधिकार सर्वोच्च है।

बच्चों को शिक्षित करने के लिए योग्य शिक्षक आवश्यक हैं।

लेकिन शिक्षा नीति इस तरह बनाई जानी चाहिए कि:

1. अनुभवी शिक्षक निराश न हों।

2. अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

3. गुणवत्ता का मानक सभी पर लागू हो।

—

न्यायालय की अंतिम टिप्पणी (अंश):

> “हम मानते हैं कि शिक्षा नीति में संतुलन लाना आवश्यक है।

शिक्षक समाज के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक योग्य और प्रेरित हो।

नीति ऐसीहोनी चाहिए जिससे शिक्षक का मनोबल बढ़े और बच्चों का अधिकार भी सुरक्षित रहे।”

न्यायालय के अवलोकन (जारी):

1. शिक्षकों की भूमिका:

शिक्षक समाज की नींव हैं।

बच्चों को केवल जानकारी ही नहीं बल्कि मूल्य, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाते हैं।

इसलिए शिक्षक की योग्यता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

2. अनुभवी शिक्षकों का मूल्य:

वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का अनुभव अपने आप में एक प्रमाण है।

ऐसे शिक्षकों को प्रमोशन से वंचित करना उनके करियर के साथ अन्याय होगा।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई नियुक्तियों में कठोर मानक सही हैं, लेकिन पुराने शिक्षकों पर अत्यधिक बोझ डालना उचित नहीं।

—

अल्पसंख्यक अधिकार और नियमन:

अनुच्छेद 30(1) का अधिकार पूर्ण है लेकिन यह भी मान्य है कि:

राज्य शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उचित नियमन कर सकता है।

नियमन ऐसा होना चाहिए जो संस्थान की पहचान को खत्म न करे।

TET जैसी परीक्षा को "गुणवत्ता का मानक" माना जा सकता है, लेकिन यह लागू करने का तरीका संतुलित होना चाहिए।

---

शिक्षा का अधिकार और उसका महत्व:

अनुच्छेद 21(A) ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है।

यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा समान अवसर पाए।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को लागू करने के लिए सही कदम उठाए।

योग्य शिक्षक इस अधिकार के सफल क्रियान्वयन की कुंजी हैं।

---

कानूनी दृष्टिकोण का सार:

मुद्दा न्यायालय का दृष्टिकोण

TET अनिवार्यताशिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सही कदम।

पुराने शिक्षकों पर TET प्रमोशन के लिए इसे बाधा नहीं बनाना चाहिए।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान खत्म नहीं करनी चाहिए।

धारा 23 की व्याख्या  केवल पहली नियुक्ति तक सीमित।

---

संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्न (दोहराव):

1. क्या TET सभी स्कूलों (अल्पसंख्यक सहित) के लिए अनिवार्य है?

2. क्या प्रमोशन के लिए TET पास करना जरूरी है?

3. धारा 23 की परिभाषा क्या केवल नियुक्ति तक सीमित है या प्रमोशन तक बढ़ाई जा सकती है?

4. बच्चों के अधिकार और संस्थानों की स्वायत्तता में संतुलन कैसे बनेगा?

---

न्यायालय की टिप्पणी (उद्धरण):

> “शिक्षक समाज के निर्माण की रीढ़ हैं।

अगर शिक्षक योग्य होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा।

परंतु शिक्षकों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने वाली नीति बनाना भी

उतना ही महत्वपूर्ण है।”

न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

1. शिक्षक गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं:

शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक है जब शिक्षक उच्च गुणवत्ता के हों।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में योग्य शिक्षक हों।

इसलिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है।

2. TET का महत्व:

शिक्षक की बुनियादी क्षमता को परखने का यह एक मानक तरीका है।

यह परीक्षा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का साधन है
।

यह छात्रों के हित में है।

3. अनुभवी शिक्षकों के प्रमोशन पर राहत:

जो शिक्षक लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, वे अपनी क्षमता सिद्ध कर चुके हैं।

प्रमोशन के लिए उन्हें TET से नहीं रोकना चाहिए।

शिक्षा नीति को अनुभवी शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में होना चाहिए।

---

अल्पसंख्यक संस्थानों पर स्पष्ट रुख:

अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल चलाने का अधिकार देता है।

अदालत ने कहा:

यह अधिकार पूर्ण है, लेकिन यह बच्चों के शिक्षा अधिकार को सीमित नहीं कर सकता।

TET जैसे सामान्य गुणवत्ता मानक लागू हो सकते हैं यदि वे अल्पसंख्यक स्कूलों की पहचान या स्वायत्तता को खत्म न करें।

--

धारा 23 की व्याख्या (दोहराव):

यह धारा केवल "नियुक्ति" को संदर्भित करती है।

प्रमोशन इसमें शामिल नहीं है।

यदि प्रमोशन के लिए नए मानक लगाए जाते हैं तो यह असंगत और अनुचित होगा।

---

सरकारी नीतियों पर दिशा-निर्देश:

1. गुणवत्ता का ध्यान:

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए TET जैसी परीक्षा जरूरी है।

2. लचीलापन:

अनुभवी शिक्षकों को प्रमोशन से वंचित करना नीति के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

3. अल्पसंख्यक अधिकार:

नीतियों को इस तरह बनाया जाए कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता सुरक्षित रहे।

---

न्यायालय का निर्णय (संक्षिप्त):

यह मामला व्यापक और संवेदनशील है।

इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाता है ताकि:

1. शिक्षा का अधिकार,

2. शिक्षक योग्यता के मानक,

3. प्रमोशन नीति,

4. और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर स्पष्ट निर्णय हो सके।

---

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

> “हम मानते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक समाज के भविष्य को गढ़ते हैं। इसलिए उनकी योग्यता पर ध्यान देना अनिवार्य है, परंतु नीतियों को इस तरह बनाना होगा कि शिक्षक का मनोबल और संस्थानों की स्वायत्तता दोनों सुरक्षित रहें।”

न्यायालय की समापन टिप्पणियाँ:

1. शिक्षक का महत्व:

शिक्षक राष्ट्र निर्माण की धुरी है।

अगर शिक्षक योग्य और प्रेरित होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः बेहतर होगी।

इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया में कड़े मानक सही हैं, लेकिन प्रमोशन को रोकने वाला कदम अनुचित है।

2. TET परीक्षा का औचित्य:

यह बच्चों के शिक्षा अधिकार को सुरक्षित रखने का साधन है।

न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।

परंतु यह परीक्षा अनुभवी शिक्षकों के लिए बोझ न बने।

---

अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता:

अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षक नियुक्त करने की स्वतंत्रता है।

अदालत ने कहा:

यह स्वतंत्रता शिक्षा की गुणवत्ता कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती
।

ऐसे संस्थानों में भी गुणवत्ता मानकों का पालन होना चाहिए, लेकिन वह उनकी पहचान को प्रभावित न करे।

---

नियुक्ति और प्रमोशन का अंतर:

बिंदु नियुक्ति प्रमोशन

अर्थ पहली बार शिक्षक पद पर चयन कार्यरत शिक्षक को ऊँचे पद पर पदोन्नति

TET लागू ✔️ अनिवार्य ❌ स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं

उद्देश्य योग्य व्यक्ति का चयन करियर विकास, अनुभव का सम्मान

—

न्यायालय का आदेश (मुख्य अंश):

यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव पूरे देश की शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा।

इसलिए यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाता है।

संविधान पीठ यह तय करेगी:

1. क्या TET सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू होगा, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या नहीं?

2. क्या प्रमोशन के लिए भी TET आवश्यक है?

3. शिक्षा नीति में गुणवत्ता और स्वतंत्रता का संतुलन कैसे बनाया जाए?

---

अदालत की टिप्पणी (उद्धरण):

> “शिक्षक की योग्यता और प्रेरणा से ही बच्चे का भविष्य तय होता है। शिक्षा नीति में कठोरता और लचीलापन दोनों का संतुलन आवश्यक है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे का शिक्षा अधिकार, शिक्षक का सम्मान और संस्थानों की स्वतंत्रता – तीनों सुरक्षित रहें।”

---

निर्णय का सार:

TET को गुणवत्ता मानक के रूप में मान्यता मिली।

प्रमोशन में TET को अनिवार्य बनाना विवादास्पद है, इस पर संविधान पीठ निर्णय लेगी।

अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन गुणवत्ता नियम लागू करने का अधिकार सरकार को रहेगा।

न्यायालय का अंतिम निर्णय:

1. यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा है।

2. इसका प्रभाव:

पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था,

शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया,

तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर पड़ेगा।

3. इसलिए इसे संविधान पीठ को संदर्भित किया जाता है ताकि इन प्रश्नों पर स्पष्ट और अंतिम निर्णय दिया जा सके।

---

संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्न:

1. क्या TET (Teacher Eligibility Test) को अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक सभी स्कूलों में नियुक्ति के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है?

2. क्या पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए भी पदोन्नति (Promotion) के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा?

3. क्या RTE अधिनियम की धारा 23 का दायरा केवल नियुक्ति तक सीमित है या यह प्रमोशन तक भी बढ़ाया जा सकता है?

4. क्या अल्पसंख्यक संस्थानों पर ऐसे गुणवत्ता मानक थोपे जा सकते हैं जिनसे उनकी पहचान या स्वतंत्रता प्रभावित न हो?

---

न्यायालय का अवलोकन (सार):

शिक्षा का अधिकार (Article 21A) और अल्पसंख्यक अधिकार (Article 30) दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे और साथ ही शिक्षकों को प्रोत्साहित करे।

किसी भी निर्णय में इन दोनों के बीच संतुलन कायम करना अनिवार्य है।

---

निर्णय का समापन भाग:

> “हम मानते हैं कि शिक्षा प्रणाली की सफलता का आधार शिक्षक है। इसलिए शिक्षक की योग्यता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन, शिक्षक समुदाय का मनोबल बढ़ाने और उनकी सेवा के वर्षों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है।

यह मामला संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसे संविधान पीठ को भेजा जाता है।”

न्यायाधीशों के हस्ताक्षर:

(दीपांकर दत्ता, न्यायाधीश)

(अजय रस्तोगी, न्यायाधीश)

नई दिल्ली

दिनांक: 1 सितंबर 2025